

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219398
SG-DL-E-16052020-219398

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 13
No. 80]	DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942	[N.C.T.D. No. 13

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 मई, 2020

सं. फा. 18/284/2013/गृह (सा0)/1594-1602.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० यू० 11011/2/74-यूटीएल (प) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल निम्नलिखित अधिकारियों को पूर्वी राजस्व जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री मनोज कुमार	अनुभाग अधिकारी
2.	श्री मनमोहन सिंह	अनुभाग अधिकारी
3.	श्री सुनील कुमार	अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
विवेक कुमार नरेश, उप-सचिव (गृह)

HOME(GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 14th May, 2020

No. F. 18/284/2013-Home(G)/ 1594-1602.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.U-11011/2/74-UTL(i) dated the 20th March, 1974, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint and confer powers of Executive Magistrate upon under-mentioned officers in East Revenue District with immediate effect.

Sl. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. Manoj Kumar	Section Officer
2.	Sh. Manmohan Singh	Section Officer
3.	Sh. Sunil Kumar	Section Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
VIVEK KUMAR NARESH, Dy. Secy. (Home)